

—: आदेश :—

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.4(8)प्रसु/टाईम्स/2014 दिनांक 24 जनवरी, 2014 तथा श्रीमान जिला कलक्टर झालावाड़ आदेश क्रमांक 215-245 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 40.01.2015 व आदेश क्रमांक 495-496 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के माह मई, 2018 में दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा।

दिनांक	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	दौरा/निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
02.05.2018 बुधवार	खानपुर	जरगा प.स. खानपुर	MJSA-III निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल
07.05.2018 सोमवार	पचपहाड़	नरायणखेड़ा प.स. भवानीमण्डी	निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई
09.05.2018 बुधवार	मनोहरस्थाना	कोल्हूखेड़ी मालियान प.स. मनोहरस्थाना	MJSA-III निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल
14.05.2018 सोमवार	पिडावा	बानोर प.स. सुनेल	निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई
16.05.2018 बुधवार	खानपुर	डोबड़ा प.स. खानपुर	MJSA-III निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल
21.05.2018 सोमवार	गंगधार	गुराडिया झाला प.स. डग	निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई
23.05.2018 बुधवार	झालरापाटन	गोविन्दपुरा प.स. झालरापाटन	MJSA-III निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल
28.05.2018 सोमवार	असनावर	जूनाखेड़ा प.स. झालरापाटन	MJSA-III निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई
30.05.2018 बुधवार	अकलेरा	लसूडियाशाह प.स. अकलेरा	MJSA-III निरीक्षण, दौरा, जनसुनवाई

- निरीक्षण हेतु नियत ग्राम पंचायत में उक्त पंचायत में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
 - रात्रि चौपाल हेतु नियत ग्राम पंचायत में जनसुनवाई कर समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
 - सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी संलग्न प्रपत्रों को भरकर प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
 - राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरा, रात्रि चौपाल ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। सम्बंधित Adopter अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरा के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 - सम्पूर्ण रात्रि चौपाल कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
 - उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
 - रात्रि चौपाल में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे।
1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 4. पशुपालन विभाग 5. समाज कल्याण विभाग 6. महिला एवं बाल विकास विभाग 7. शिक्षा विभाग 8. राजस्व विभाग 9. रसद विभाग 10. सार्वजनिक निर्माण विभाग
- सभी विभाग रात्रि चौपाल के निर्धारित दिवस से एक दिन पूर्व समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा उनका निस्तारण भी करेंगे।
 - विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भी भरवायेगे, उनकी पूर्ति भी करायेगे जिससे रात्रि चौपाल में स्वीकृति जारी की जा सके।
 - रात्रि चौपाल में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
 - रात्रि चौपाल के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पंचायत की क्या-क्या परिसम्पत्तियाँ हैं, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेंगे।
 - उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियुक्त ग्राम सेवक/पटवारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/महिला सुपरवाइजर/ए0एन0एम0 एवं वहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल में प्रस्तुत करेंगे।
 - उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना/पेंशन/महानरेंगा/अन्न सुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखें।

- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।
- प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर के सम्पर्क समाधान पोर्टल पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।
- निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बंधित कलक्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होगी।
- प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेगें कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
- निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल की समस्त प्रगति रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र क्रमांक 215-245/पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 05.01.2015 में संलग्न प्रपत्रों में तैयार की जायेगी।
- संलग्न :- माह मई, 2018 का कार्यक्रम।

अति. जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक/ADM/निरीक्षण एवं रात्रि-चौपाल/2018/451-449

दिनांक : 12 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि माननीय जन प्रतिनिधिगण:-

1. श्रीमति वसुंधरा राजे सिंधिया, माननीया विधायक, विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री, जिला झालावाड़।
3. श्री दुष्यन्त सिंह, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा संसदीय क्षेत्र झालावाड़-बारां ए.बी.-17 तिलक मार्ग नई दिल्ली 110001
4. श्री श्रीकिशन पाटीदार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर।
5. श्री नरेन्द्र नागर, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र खानपुर, तह.खनपुर।
6. श्री रामचन्द्र सुनारीवाल, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र डग, तह.गगधर।
7. श्री कंवरलाल मीणा, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र मनोहरस्थाना निरोगधाम अकलेरा, तह.अकलेरा।
8. श्रीमति टीना कुमारी, माननीया जिला प्रमुख महोदय-जिला परिषद झालावाड़।
9. प्रधान महोदय/महोदया, पंचायत समिति झालरापाटन/खानपुर/अकलेरा/मनोहरस्थाना/बकानी/पिडाया-मु.सुनेल/भवानीमण्डी/डग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

01. अति० मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकीय विभाग (प्रभारी सचिव महोदय) राजस्थान सरकार जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा।
05. जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।
05. मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़।
06. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण.....
07. प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट झालावाड़।
08. सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री
09. उपखण्ड अधिकारी समस्त.....
10. तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त.....
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त.....
12. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झालावाड़.....
14. पीए टू कलक्टर

अति. जिला कलक्टर
झालावाड़